nt>

Title: Need to withdraw the new catering policy of Railways.

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी (रीवा) : अध्यक्ष महोदय, समस्त देश में रेल मंत्रालय द्वारा संशोधित खान-पान योजना पत्र सं0 2003 /TG-III/600/S-2004 के द्वारा छोटे-छोटे लाखों खान-पान स्टाल और ट्राली चलाने वाले लाइसेंसियों को, जो कि पिछले कई दशकों से यात्रियों की सेवा करते आ रहे हैं, जिससे ये अपनी आजीविका चला रहे हैं, को बेरोजगार करने का आदेश दे दिया गया है, क्योंकि ये समस्त खान-पान लाइसेंसी तभी तक काम कर सकते हैं जब तक इनका रेल से अनुबंध है। इन छोटे लाइसेंसियों में वृद्ध, विस्थापित, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति व जनजाति, विधवा, स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षित बेरोजगार हैं। अतः उपरोक्त वर्गों के परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। यह भी सम्भव है कि जिस प्रकार भुखमरी व कर्जों के कारण किसान आत्महत्या करते हैं, उसी प्रकार ये छोटे-छोटे लाइसेंसी भी ऐसा करने को मजबूर

हो सकते हैं, क्योंकि इस अवस्था में इनके लिए रोजगार के समस्त रास्ते बंद हो चुके हैं। संशोधित खान-पान नीति के द्वारा छोटे-छोटे लाइसेंसियों को समस्त श्रेणी के स्टेशनों से बिना कोई मौका दिए हटा दिया जाएगा तथा उपरोक्त लाइसेंसियों का समस्त कार्य बड़ी कम्पनियों व पूंजीवादियों को देने की तैयारी कर ली गई है, क्योंकि ये इन बड़े-बड़े ठेकेदारों व कम्पनियों से किसी भी हालात में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। रेल मंत्रालय द्वारा अब आबंटन के लिए करोड़ों रुपए की बिक्री व लाखों रुपए की निविदा राशि होना अनिवार्य बना दिया गया है। जिसके फलस्वरूप रेलवे में कुछ गिनती की कम्पनियों व पूंजीवादियों का एकाधिकार हो जाएगा। जैसा कि आईआरसीटीसी द्वारा किया जा रहा है। ये बड़ी कम्पनियां यात्रियों से उच्च मूल्य व विज्ञापन तथा लीज के द्वारा बहुत मोटा पैसा कमाती हैं। इनको आईआरसीटीसी द्वारा एक प्रतिशत या दो प्रतिशत पर भी आबंटन किया गया है, जबकि खान-पान नीति के अनुसार 12 प्रतिशत से कम में आबंटन नहीं किया जा सकता।

इन बड़ी-बड़ी कम्पनियों व पूंजीवादियों को स्थापित करने के लिए इन छोटे-छोटे लाइसेंसियों को बेरोजगार किया जा रहा है, जबकि संविधान के अनुसार रोजगार का अधिकार हमारा एक मूल अधिकार है। अतः उपरोक्त खान-पान नीति संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की नीतियों व घोणाओं के विपरीत है।

मैं इस माननीय सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह लाखों छोटे-छोटे खान-पान लाइसेंसियों को भुखमरी व बेरोजगार होने से बचाने के लिए संशोधित खान-पान नीति 2004 को तुरंत प्रभाव से वापस लेने तथा पुरानी व्यवस्था को लागू रखने की व्यवस्था करे।

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर) : अध्यक्ष जी, मैं इसी से संबंधित बोलना चाहता हूं।

MR. SPEAKER: Shri Harikewal Prasad and Shri Rajesh Kumar Manjhi have given identical notices. Their names will be recorded as associating with this matter.